

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 215/2014

वादी :-
श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0
(रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर
अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुवा वल्द लाला
2. छोट्टु वल्द उदा
3. छोगा वल्द घीसा
4. फुसा वल्द घीसा *
5. रामपाल वल्द घीसा,
6. तेजा वल्द लादू
7. रतन वल्द लादू
8. गणपत वल्द लादू
- नाबालिग जरिए कुदरती वली
- माता सुगनी बेवा लादू
9. सुगनी बेवा लादू
10. श्रवणी पुत्री लादू
11. जनता पुत्री लादू
12. मतिया पुत्री लादू
13. सुखी पुत्री लादू
14. नौरती पुत्री लादू
- जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा
(रास) तह.-जैतारण (जिला-पाली)
15. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:07.11.2014

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 03/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यों के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग खसरा नम्बर 2308 रकबा 1-10 बीघा किरम सेवज अब्बल की आई हुई हैं। जिसमें वादी कम्पनी 43/60 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। वादी


अधिकारी
जैतारण (वादी)

कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई है व
 हिरसानुसार सभी का कब्जा व काश्त है व वादी सरास नम्बर 2308 रकबा 1-10
 बीघा किरम सेवज अत्तल भूमि में 43/60 हिस्से की भूमि यानि 1 बीघा 01 किरम
 10 बिरवांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का अपने हिस्से पर जिर्दियत खातेदार
 काश्तकार के काबिज है। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के
 रूप में शामिलती दर्ज है व नक्शा ट्रेज में भी सम्पूर्ण भूमि एक जीत दर्शाई गई है।
 मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित
 आराजी को वाद में आने विवादित भूमि के नाम से जिर्दियत किया जायेगा कि सम्मत
 2068 से 2071 की जगाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेज की प्रमाणित प्रति की प्रीत वाद
 के साथ पेश की है। जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादी कम्पनी की वादग्रस्त
 कृषि भूमि सरास नम्बर 2308 रकबा 1-10 बीघा किरम सेवज अत्तल भूमि में
 43/60 हिस्से की भूमि यानि रकबा 1 बीघा 01 किरम 10 बिरवांसी भूमि मौके पर
 बंटी हुई है। वादी का अलग से कब्जा व काश्त है व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के
 कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्टर एण्ड बाउण्डस के
 तकारामा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेज में तरमीम
 रखने का तकारामा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत राही नहीं होने से
 उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 14/09/14 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण
 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्टर
 एण्ड बाउण्डस के तकारामा करवाने का अधिकारी है। इसलिए दावा तकारामा आराजी
 खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बाद तकारामा आराजी वादी अपनी खातेदारी
 कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार
 काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त
 खातेदारी की भूमि में किराी प्रकार की दखलबन्दी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी
 अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी,
 जिसकी क्षतिपूर्ति किराी कदर सम्भव नहीं है। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी
 द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवाली व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे।
 जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई
 निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ
 प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार, जेतारण वादग्रस्त भूमि
 के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकारामा आराजी के वाद में
 आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। उनके
 विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं वाही गई है। प्रतिवादी संख्या 8 गणपत वल्ल लादू जो
 नाबालिग हैं, जिसकी कुदरती वली माता युगनी बेवा लादू हैं। इसलिए नाबालिग के
 विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आदेश 32 नियम 03 सी.पी.सी. के तहत
 न्यायालय से अनुमति ली जाना आवश्यक है। इसलिए वादी का वाद अत्यन्त आवश्यक
 प्रकृति का होने से वाद पत्र के साथ अलग से आदेश 32 नियम 03 सफाई धारा
 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। चन्दी फौत होने पर उसके
 कायम मुकाम पहले से रेकॉर्ड पर है। बिनायदावा दिनांक 14/09/14 को वादी द्वारा
 प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्टर एण्ड बाउण्डस का कब्जे व
 प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर व वादी को उनके हिस्से की भूमि से
 बेदखल करने की एलाजिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (रास) तहसील-जेतारण
 में पैदा हुआ, जो अब्दर ग्याद हक अख्तियार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार
 समय वादी ने माफिक दावा वाद टिकी किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी
 की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्टर एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईशतदुआ
 है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जटिए सम्मनस



D. S.
 न्याय अधिकारी
 बाला (वादी)

वास्ते जमाबन्दी तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 15 को बायजूद सूचना /
तामिली बार-बार आचार्य विलाने पर भी अनुपरिमत रहने से इनके विरुद्ध दिनांक
08/12/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी
संख्या 0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हो।
मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र का करवाया गया तथा दरस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत्
2068 से 2071 को प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं
चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त
किया कि उक्त विवादित आराजी की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्डनुसार वादी
स्वातेदार काश्तकार होने से बाईं मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर
मौके पर वादी की भूमि का पक्षकारानों में मौके पर बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने
से बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय
दरस्तावेजात एवं साक्ष्य वादी के शपथ-पत्र व दरस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर
बहस वकील वादी पर गौर कर गनन किया गया। वस्तुतः प्राथमिक डिक्री जारी की
जाना तथा उक्त विवादित भूमि का बाईं मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना
उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध
प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार
हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की स्वातेदारी व
कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2308 रकबा 1-10 बीघा किरम सेवज अब्बल
भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की
है, बंटवाड़ा बाईं मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग
दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखगबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने
हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को
अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/263 दिनांक 15/04/2015 द्वारा आदेशित
किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/15/3879 दिनांक
04/06/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव
मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक
बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने
की ईशतदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं
पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय
नजरी नक्शा दिनांक 27/05/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया
जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-


अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण
विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार
हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2308 रकबा 1-10 बीघा
किरम सेवज अब्बल की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया




यदि
न्याय अधिकारी
बीवगढ़ (वादी)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2308	1-01-00	से०अ०	0.80 रु.
2	ना.बा. कानाराम पुत्र भोमाराम कुदरती वली चन्द्री पत्नि लाला सुवा पुत्र लाला चन्द्री पत्नि लाला छोगा छोदु पि० उदा तेजा रतन गणपत पि० लादू (गणपत ना.बा. की वली माता सुगनी) श्रवणी जनता मतिया सुखी नोरती पुत्रियाँ लादु सुगनी पत्नि लादु गर्जर सा० खेड़ा खातेदार।	2308/५	0-09-00	से०अ०	0.35 रु.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 27/05/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील आदालत दाखिल दफतर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज०)

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्दादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0
(रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर
अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर

1. सुवा वल्द लाला
2. छोटु वल्द उदा
3. छोगा वल्द घीसा
4. फुसा वल्द घीसा
5. रामपाल वल्द घीसा
6. तेजा वल्द लादू
7. रतन वल्द लादू
8. गणपत वल्द लादू
- नाबालिग जरिए कुदरती वली
- माता सुगनी बेवा लादू
9. सुगनी बेवा लादू
10. श्रवणी पुत्री लादू
11. जनता पुत्री लादू
12. मतिया पुत्री लादू
13. सुखी पुत्री लादू
14. नौरती पुत्री लादू
- जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा
(रास) तह.-जैतारण (जिला-पाली)
15. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत तकासमा आराजी एवं
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188

मु0न0 :रा0वा0 स0:215/2014

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुख्दई व मिनजानिब मुख्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2308 रकबा 1-10 बीघा किरम सेवज अब्बल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किरम	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2308	0-17-00	से0अ0	0.80 रु.
2	ना.बा. कानाराम पुत्र भोमाराम कुदरती वली चन्द्री पत्नि लाला सुवा पुत्र लाला चन्द्री पत्नि लाला छोगा छोटु पि0 उदा तेजा रतन गणपत पि0 लादू (गणपत ना.बा. की वली माता सुगनी) श्रवणी जनता मतिया सुखी नौरती पुत्रियाँ लादु सुगनी पत्नि लादु, फुसा रामपाल पि0 घीसा कौम-गुर्जर सा0 खेड़ा खातेदार।	2308/2	0-13-00	से0अ0	0.35 रु.

(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंट्याडा रिपोर्ट विभाजन परस्ताव मय नजरी नवशा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निपेधाज्ञा रोका जाता है। महरीलदार जैतारण को संशोधित डिक्ली पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फीसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जावता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....गुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...
 -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक-.....को अदा करें।
 बशिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/09/2017 को जारी किया गया।




 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी (पौली)
 (जिला-पाली)

मुद्दाई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०३	- ००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	०१	- ००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०२	- ००	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०८	- ००	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजान:-	१५	- ००	मिजान:-	- ००	- ००

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्ली के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।